

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
प्रकरण संख्या :- 267 / 2025

1. सोमप्रकाश पुत्र इन्द्रजीत जाति बिश्नोई निवासी 2 पीएम द्वितीय तहसील घडसाना हाल आबाद जण्डवाला बिश्नोईयान तह० डबवाली जिला सिरसा (हरि.)
2. लोकेश पुत्र अनिरुद्ध जाति बिश्नोई निवासी 2 पीएम द्वितीय तहसील घडसाना हाल आबाद जण्डवाला बिश्नोईयान तह० डबवाली जिला सिरसा (हरि.)

-वादीगण

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-प्रतिवादी

वाद पत्र अं० धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 6-2-2026



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सतोष कुमार वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की रिपोर्ट एवं निष्पादित वसीयत आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि चक नं. 5 एन.जी.आर. खाता सं. 72/75 जं.सं. 2072-75 के संयुक्त खाता में 1/2 हिस्सा व इसी चक नं. 5 एन.जी.आर. खाता सं. 13/9 जं.सं. 2072-75 के संयुक्त खाता में 1/2 हिस्सा कृषि भूमि का वादीगण को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी सं. 1 की माता एवं वादी सं. 2 की दादी स्व. श्रीमती ओमप्यारी पत्नी इन्द्रजीत पुत्र मनीराम का नाम का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी / प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज......निल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.2.2026 को जारी किया गया।

( जय कौशिक )

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
जय हिन्द  
संगरिया